न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 259 / 2023 GCMS No.—2023/63

1. भागीरथ पुत्र श्री ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. रामफुल पुत्र श्री मोती जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. गोपाल पुत्र बुद्वया
2. रामकिशन पुत्र स्व. श्री सोहन
3. जगमोहन पुत्र स्व. श्री सोहन
4. सोनी देवी पुत्र स्व. श्री सोहन
5. रामसहाय पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
6. डुंगरसी पुत्र स्व. श्री कल्याण
7. रमेश पुत्र स्व. श्री कल्याण
8. महेश पुत्र स्व. श्री कल्याण
9. कैलाशी पुत्र स्व. श्री कल्याण
10. इन्द्रा पुत्री स्व. श्री कल्याण
11. शंकर पुत्र स्व. श्री हरिया
12. श्रवण पुत्र स्व. श्री हरिया
13. हनुमान पुत्र स्व. श्री हरिया
14. लाडा देवी पत्नी स्व. श्री हरिया
15. कालूराम पुत्र स्व. श्री रामनाथ
16. गोपाली देवी पत्नि स्व. श्री रामकरण
17. प्रभु पुत्र स्व. श्री रामकरण
18. जगदीश पुत्र स्व. श्री मोती
19. कैलाश पुत्र स्व. श्री मोती

जातियान मीणा निवासीयान ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राज.।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार महोदय आंधी द्वारा पारित आदेश 02.03.2023 नामान्तकरण संख्या 624 रेस्पाडेन्ट के पक्ष में गलत रूप से खोल दिया से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है।

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

निर्णय

दिनांकः 29.10.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार आंधी के निर्णय दिनांक 02.05.2023 जिससे नामान्तरकरण संख्या 624 वाके ग्राम चावण्डिया, तहसील आंधी रेस्पाडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 24.05.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की

जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 20 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। शेष रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 एवं रेस्पा0 संख्या 11 लगायत 19 को रजि0 नोटिस जारी किये गये थे। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 एवं रेस्पा0 संख्या 11 लगायत 19 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शा0मिसल की गयी एवं उभय पक्ष अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चावण्डिया स्थित अपीलाधीन आराजीयात स्व. श्री प्रभात के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। स्व. प्रभात जो ना औलाद फौत हो गया था तथा उन्होनें अपने जीवनकाल में ना तो किसी को गोद लिया ना ही अपनी चल व अचल संपत्ति किसी को वसीयत की एवं निंवसीयत फौत हो गये थे। अपीलांट व रेस्पा0 जो कि स्व. प्रभात के वारिसान है। स्व. श्री कल्याण ने स्वयं को प्रभात का पुत्र बताते हुये अपने नाम से अपीलाधीन आराजीयात का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया एवं साथ ही स्व. कल्याण ने अपने जायन्दा पिता स्व. रामनाथ की भूमि में भी अपने नाम से नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया। स्व. कल्याण का देहावसान दिनांक 22.02.2022 को पैतृक निवास चावण्डिया पर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात स्व. कल्याण के विधिक वारिसान रेस्पा. संख्या 6 लगायत 10 द्वारा ग्राम पंचायत में स्व. कल्याण का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जाने पर अपीलांट एवं शेष रेस्पा0 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी की स्व. श्री कल्याण का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके जायन्दा पिता स्व. रामनाथ के नाम से ही बनाया जावे। किन्तु डूंगरसी पुत्र स्व. कल्याण जो कि दिल्ली पुलिस में अधिकारी है के द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाते हुए मृतक कल्याण को दिल्ली में मृत्यु होना बताते हुये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया एवं तहसीलदार आंधी से मिलीभगत कर स्व. कल्याण का फौती नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। स्व. कल्याण द्वारा अपने हिस्से में रामनाथ से आयी हुई पैतृक आराजीयात भूमि की गिफ्ट डीड अपनी पुत्रवधु के नाम से अपने जीवनकाल में ही निष्पादित करवा दी थी। तत्पश्चात कल्याण के वारिसान द्वारा कल्याण के हिस्से में प्रभात की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा लिया जो पूर्णतया विधि विरूद्व व गैर कानूनी है। अपीलांट की मृत्यु प्रमाण पत्र पर आपत्ति पर कार्यालय जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा जांच हेतु निर्देश दिया गया जिस पर विकास अधिकारी के द्वारा उक्त बिन्दुओ पर जांच करके अपनी रिपोर्ट कार्यालय जिला रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कर अवगत करवाया कि मृतक स्व. कल्याण को ना तो कभी स्व. प्रभात ने गोद लिया और वह स्व. रामनाथ का जायन्दा पुत्र था जिस पर जिला रजिस्ट्रार ने ग्राम पंचायत को स्व. कल्याण के जायन्दा पिता स्व. श्री रामनाथ के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया। अपीलांट व रेस्पा. का स्व. प्रभात की भूमि पर कब्जा है एवं मकान बनाकर निवास कर रहे है। पक्षकारान के मध्य अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में राजस्व वाद भी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार आंधी का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 02.05.2023 वाके ग्राम चावण्डिया निरस्त फरमाया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात के पूर्व खातेदार प्रभात पुत्र झूथा के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 27.02.1977 को रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 के पिता स्व0 कल्याण के नाम खुला जिसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में स्व. कल्याण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो गया। स्व. कल्याण की मृत्यु के पश्चात रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 का नाम विधिवत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गया इसी आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट व उनके पूर्वजो द्वारा स्व. कल्याण के नाम से दर्ज नामान्तकरण संख्या 153 को आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अपीलांट को उक्त सभी तथ्यो की भली प्रकार से जानकारी रही है कि उक्त भूमि से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। स्व. कल्याण के मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट व भामाशाह कार्ड में रेस्पा0 के पिता कल्याण पुत्र स्व. श्री प्रभात्या दर्ज है तथा कल्याण ही प्रभात्या का वारिस एवं उत्तराधिकारी था। अपीलांट संख्या 2 के द्वारा तहसीलदार महोदय आंधी के समक्ष अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 624 की जांच हेतु वास्तविक वारिस के नाम से वारिस प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने आई.एल.आर. से रिपोर्ट मंगवायी एवं उक्त रिपोर्ट में नामान्तकरण संख्या 153 के अनुसार प्रभात्या पुत्र झूथा के नाम नामान्तकरण कौरम की सर्वसम्मति से स्वीकार होना एवं प्रभात्या की माता के द्वारा कल्याण ही मेरा उत्तराधिकारी जाहिर किये जाने से स्वीकार किया गया है। अपीलांट ने रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 को व्यर्थ में हैरान व परेशान करने की नियत से माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष दावे विचाराधीन है एवं कानूनन नामान्तकरण समरी प्रोसिडिंग है। ऐसी सूरत में अपील अपीलांट प्रारम्भिक स्तर पर कानूनी बल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य

है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 624 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र मौका फर्द के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके पश्चात गिरदावर हल्का द्वारा जांच की गयी एवं अंकन सही होने की रिपोर्ट की गयी। जिसके आधार पर तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 02.05.2023 को स्व0 कल्याण का विरासत का नामान्तकरण संख्या 624 उसके विधिक वारिसान रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 के हक में स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में उज्र पेश किया गया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि स्व. कल्याण को स्व. प्रभात्या के द्वारा प्राप्त हुयी एवं स्व. प्रभात्या अपीलांट का भी पूर्वज रहा है एवं गलत दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन आराजीयात प्रभात्या पुत्र झूंथा की थी एवं प्रभात्या के फौत होने ग्राम पंचायत ने कल्याण को प्रभात्या का उत्तराधिकारी मानते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 153 पर पारित आदेश दिनांक 27.02.1977 के द्वारा प्रभात्या की भूमि स्व. कल्याण के नाम से दर्ज हुयी। नामान्तकरण संख्या 153 पंचायत कोरम के समक्ष सर्वसम्मति से स्वीकार किया एवं प्रभात्या की माता के द्वारा भी जाहिर किया गया मेरा उत्तराधिकारी कल्याण है। इसके पश्चात रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 के पिता स्व. कल्याण की मृत्यु होने पर स्व. कल्याण की विरासत का नामान्तकरण संख्या 624 रेस्पा0 संख्या 06 लगायत 10 के नाम स्वीकार हुआ है जिसे अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के समय किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार अपीलांट संख्या 2 द्वारा स्व. कल्याण के वारिस प्रमाण पत्र के संबंध में तहसीलदार आंधी के समक्ष आपत्ति की जिसके संबंध में तहसीलदार आंधी द्वारा पटवारी एवं गिरदावर हल्का से रिपोर्ट ली गयी। पटवारी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2024 अनुसार रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 मुताबिक जांच व फर्द मौका रिपोर्ट कल्याण के वारिस सही व सत्य होना पाया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी कि रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपीलाधीन भूमि प्रभात्या पुत्र झूंथा से प्राप्त हुयी है एवं अपीलांट द्वारा प्रभात्या की विरासत के नामान्तकरण को सक्षम न्याायालय में चुनौती दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। स्व. प्रभात्या की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक, अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। वकील पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में दावा बउनवानी रामफूल बनाम कल्याण विचाराधीन है इसलिए अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट के हक अधिकार उक्त वाद में तय होने है। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा स्व. कल्याण पुत्र प्रभात के समर्थन में दस्तावेज यथा वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड भी पेश किये है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. कल्याण के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है जिस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर